भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 901
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

होशंगाबाद में विमानपत्तन

901. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) होशंगाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्तमान में प्रस्तावित विमानपत्तन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों कर ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 के अनुसार, हवाईअड्डा विकासकर्ता को एक उपयुक्त स्थल की पहचान करने और पूर्वव्यवहार्यता अध्ययन कराने तथा 'साइट मंजूरी' के बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

होशंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए संबंधित राज्य सरकार या किसी हवाईअड्डा विकासकर्ता द्वारा 'साइट मंजूरी' मांगने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) : जीएफए नीति के तहत, 13 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों अर्थात दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुरागि, ओर्वाकल (कुरनूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोगा, राजकोट (हीरासर) और नवी मुंबई को प्रचालनरत किया गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के लिए अक्टूबर, 2016 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की शुरूआत की है। आरसीएस-उड़ान योजना के तहत, 93 एयरोड्रोम को जोड़ने वाले 651 मार्गों का प्रचालनरत किया गया है।

******